तारीख हुक्म	ज्ञानचन्द बनाम ब्रह्मीकान्ता हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्रार्थना पत्र 151 CPC मु.नं. 40/2018
26-11-19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण मे बहस वकुलान उभय पक्षकारान सुनी गई। वास्ते आदेश। निर्णय पत्रावली दिनांक 04-12-2019 को पेश हो।
4-12-19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण मे समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखवाया जा सका। वास्ते आदेश / निर्णय पत्रावली दिनांक 11-12-19 को पेश हो।
11.12.2019	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रार्थना पत्र स्थगन अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी से सम्बन्धित मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आज निर्णित होकर फैसल हो चुका है। अतः मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) के निर्णित हो जाने से इस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी को इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर) यह निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2020.09.29 14:19:27 IST
Reason: SelfAttested